प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 07.01.2025

थाना मसूरी पुलिस द्वारा 2 गोकश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार

दिनांक 4/ 1/ 2025 को थाना मसूरी पर वादी बॉबी निवासी ग्राम नाहल मसूरी दुआरा गाय चोरी हो जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था चोरी की गई गाय के अवशेष ढबारसी के जंगल में ईख के खेत में मिले थे बरामद अवशेष के आधार पर मुकदमा उपरोक्त को संबंधित धाराओं में तरमीम किया गया घटना से संबंधित अभियुक्त गण फैजान पुत्र अनीश निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी व इस्तकार पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम ढवारसी थाना मसूरी को आज दिनांक 7/1/25 को गिरफ्तार किया गया व आज दिनांक 7/01/25 को अभियुक्तगण फैजान इस्तकार को साथ लेकर काटे गए गोवंश को काटने संबंधी औजार व अवशेष की बरामदगी हेतु लेकर ढबारसी के जंगल में आए जहां पर अभियुक्तगण द्वारा पहले से छुपाए हुए असलाह से पुलिस पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दोनों अभियुक्त गणों के पैर में गोली लगी दोनों अभियुक्त गणों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है

अभियुक्त गण का विवरण-

1-फैजान पुत्र अनीश निवासी नाहल थाना मसूरी

2-इस्तकार पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम दावारसी वर्ष थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद

अभियुक्त गणों से बरामदगी-

एक तमंचा 315 बोर एक खोखा एक कारतूस जिंदा एक एक छुरा एक बांक व काटे गए गोवंश के अवशेष

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम व सीएमओ गाजियाबाद की संयुक्त टीम द्वारा प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के लिंग की जाँच करने वाले गैंग के 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 01 प्रोब, 01 अडेप्टर, 01 जैली ट्यूब, 15,000/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 07.01.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम व सीएमओ गाजियाबाद की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के लिंग की जाँच करने वाले गैंग के 05 अभियुक्त 1. वरुण पुत्र सुनील निवासी C – 21, अमन कॉलोनी शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष 2. कपिल कुमार पुत्र श्री यशवंत निवासी 30/103 गली न. 6 विश्वाश नगर शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष 3. संदीप पुत्र नरेश कुमार निवासी प्रशांत विहार लोनी

गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष 4. प्रमोद बैसला पुत्र ओम प्रकाश निवासी गाँव गतोली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष व 5. सुमित कुमार पुत्र श्रीओम निवासी नवादा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष को इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना टीलाकोठी गाजियाबाद से 01 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 01 प्रोब, 01 अडेप्टर, 01 जैली ट्यूब, 15,000/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 61(2),318(4) बीएनएस, 3(1),3(2),3(3),4,5(1)(a),6(a),6(c),18,23,29 प्री-नेटल डाइग्रॉस्टीक टेक्नीक्स अधिनियम व 34 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तगण उपरोक्त गुरुग्राम, हरियाणा व अन्य जगहों से गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जाँच हेतु बुलाते है। जिसके लिए ये लोग गर्भवती महिलाओं से 15,000/-रूपये से 25,000/-रूपये तक लेते हैं तथा ये लोग प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं के भ्रूण की जाँच कर लिंग निर्धारण करने का काम करते है। इसका मुख्य संचालन अभियुक्त कपिल उपरोक्त करता है जो पूर्व में भी थाना लोनी बार्डर व दिल्ली में इस प्रकार के अपराधों में गिरफ्तार हो चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. वरुण पुत्र सुनील निवासी C – 21, अमन कॉलोनी शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष।
2. कपिल कुमार पुत्र श्री यशवंत निवासी 30/103 गली न. 6 विश्वाश नगर शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष।
3. संदीप पुत्र नरेश कुमार निवासी प्रशांत विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष।
4. प्रमोद बैसला पुत्र ओम प्रकाश निवासी गाँव गतोली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष।
5. सुमित कुमार पुत्र श्रीओम निवासी नवादा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 01 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 01 प्रोब, 01 अडेप्टर, 01 जैली ट्यूब, 15,000/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के लिंग की जाँच करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त कपिल उपरोक्त के विरूद्ध थाना लोनी, थाना लोनी बार्डर व थाना ज्योति नगर दिल्ली पर प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के लिंग की जाँच करने के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त संदीप उपरोक्त के विरूद्ध थाना लोनी बार्डर पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम व सीएमओ गाजियाबाद की संयुक्त टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 40 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

आज दिनांक 07.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त परवेज पुत्र मगलुद्दीन निवासी चांद मस्जिद के पास इकरामनगर लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष को चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 40 पव्वे अवैध

अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर आबकारी अधिनियम की धारा-60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अरुणाचल प्रदेश से चोरी-छिपे अवैध शराब कम दामों पर खरीदकर लाता हूँ तथा मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ तथा इससे जो रूपये मिलते हैं उनसे अपने शौक पूरे करता हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u>

परवेज पुत्र मगलुद्दीन निवासी चांद मस्जिद के पास इकरामनगर लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष ।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अवैध शराब बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

40 पव्वे अवैध शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

थाना लोनी पुलिस टीम